राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1527/2014 जिला : भीलवाडा
उनवान मैसर्स मोसर बीयर इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन, हुरडा,भीलवाडा बनाम सहायक आयुक्त, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स,भीलवाडा व उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2014	खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य श्री मनोहर पुरी,सदस्य अपीलार्थी के ओर से श्री एम.एल.पाटोदी,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24, 33 एवं 8 (3) के तहत् निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2014 में विवादित मांग राशि रू. 36,41,780/- में से 18,20,890/-की वसूली पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 18,20,890/- की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2014 में विवादित मांग राशि रू. 36,41,780/- में से 18,20,890/-की वसूली पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 18,20,890/- की वसूली पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । 08.10.2014 (मनोहर पुरी) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	